म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

ब्लॉक–1, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

(मुख्य कार्यालय–59, नर्मदा भवन, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल)

क्र./9446 / MGNREGS -MP/NR-3/SE-II/2012 **भोपाल, दिनांक 06/10/2012**

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म0प्र0,
जिला – समस्त

विषय : मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अतिरिक्त अन्य ग्रेवल रोड़ के प्रस्ताव का अनुमोदन।

संदर्भ : 1. म.प्र. शासन पत्र क्र. 3894/MGNREGS -MP/NR-3/11/भोपाल, दिनांक 19.04.11
2. परिषद का पत्र क. 9457/NREGS -MP/NR-3/11/भोपाल, दिनांक 28.09.11
3. परिषद का पत्र क. 12330/NREGS -MP/NR-3/SE-II/11/भोपाल, दिनांक 31.12.11

–00–

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अतिरिक्त अन्य सड़क निर्माण कार्य का अनुमोदन परिषद द्वारा प्रकरण का परीक्षणोंपरांत दिया जाता है। परिषद के पत्र दिनांक 31.12.11 के अनुसार 09 बिन्दुओं की जानकारी के साथ ग्रेवल रोड़ के प्रस्ताव अनुमोदन हेतु परिषद को जिलों द्वारा भेजे जाते हैं। उपरोक्त 09 बिन्दुओं की जानकारी के साथ निम्न जानकारी भी भेजना सुनिश्चित करें, ताकि प्रस्ताव पर आवश्यक कार्यवाही की जा सके :–

1. संबंधित ग्राम पंचायत में वर्ष 2010–11 (अर्थात 31 मार्च 2011) के पूर्व के शेष कार्यो की स्थिति।
2. संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई राशि के एमआईएस की स्थिति।
3. प्रस्तावित ग्रेवल सड़क ग्राम पंचायत/ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन की स्थिति, एवं एसओपी का कमांक।

बिंदु क. 1. के अनुसार यदि 31 मार्च 2011 तक का संबंधित पंचायत में कोई भी कार्य अपूर्ण है (कार्य का पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी नहीं हुआ हो एवं उसकी प्रविष्टी एमआईएस में नहीं की गई हो) तो प्रस्ताव पर अनुमोदन नहीं दिया जावेगा। बिंदु क. 02 के अनुसार यदि संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई राशि का 100 प्रतिशत एमआईएस नहीं किया गया हो तो ऐसी स्थिति में भी अनुमोदन नहीं दिया जावेगा। बिन्दु क. 03 के अनुसार संबंधित प्रस्ताव एसओपी में सम्मलित होना आवश्यक है।

कृपया उपरोक्त जानकारी अनिवार्य रूप से जिला स्तर पर प्रकरण के परीक्षणोंपरांत भेजी जावे।

(डॉ. रवीन्द्र पस्तोर)
आयुक्त
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद्